UPMA010045312022

<u>न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, मऊ।</u>

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 1975/2022

न्यायिक अधिकारी कोड नं0–यू0पी0 6537

राजेश एवं 01 अन्य .... आवेदकगण

बनाम

उ0 प्र0 राज्य .... विपक्षी।

मु0अ0सं0 398/2020

अं0धारा–323, 506, 452, 354 भा.दं.सं.

थाना–रानीपुर जनपद, मऊ।

प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण राजेश एवं प्रवेश उर्फ रामप्रवेश की ओर से थाना रानीपुर, जनपद मऊ के मुकदमा अपराध संख्या 398/2020, मु0नं0 2038/21 अन्तर्गत् धारा 323, 506, 452, 354 भा.दं.सं. के मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

मैने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के साथ संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी धर्मसीपुर थाना रानीपुर, जनपद, मऊ की निवासिनी है। दिनांक 21.8.2020 को उसके पिता व भाई घर से बाहर चले गये थे उसके पट्टीदार राजेश व प्रवेश जो मनबढ़ व गुण्डा किस्म के व्यक्ति हैं, समय करीब 9.00 बजे दिन में अपने हाथ में कुल्हाड़ी व डण्डा लेकर दीवाल फॉदकर आये तथा रास्ता बनाने के लिए उसकी बेर का पेड़ काटने लगे जब वादिनी व उसकी मां पेड़ काटने से मना किए तो दोनों लोग उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिए तथा उसे डण्डे तथा कुल्हाड़ी के पासा से बुरी तरह मारे पीटे। उसकी मां उसे छुड़ाने के लिए आयी तो उसे भी बुरी तरह मारे पीटे। प्रवेश व राजेश उसके शरीर पर पहने हुए कपड़े भी फाड़ दिए तथा अर्द्धनग्न कर दिए। लाज व जान बचाने के लिए घर में भागी तो दोनों लोग घर में घुसकर मारे पीटे तथा बेईज्जत करने का प्रयास किए। रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग आये किन्तु डर के मारे कोई नहीं बोला किसी के कहने पर कि पुलिस आ रही है तो छोड़कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। वादिनी घटना की सूचना देने थाने गयी किन्तु मेडिकल नहीं कराया गया न कार्यवाही की गयी तो घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक को दी कार्यवाही न होने पर प्रार्थना पत्र 156 (3) दं.प्र.सं. न्यायालय में प्रस्तुत की जिसपर आदेश के पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई।

प्रार्थना–पत्र एवं आवेदकगण के शपथ–पत्र के अनुसार आवेदकगण का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। आवेदकगण निर्दोष हैं आपसी रंजिश के चलते झूठे आधार पर फंसाया गया है। धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के तहत मुकदमा सलाह मशविरा करने के उपरान्त दर्ज कराया गया है। कथित दिनांक व समय पर ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है न ही आवेदकगण का ऐसी किसी घटना से सम्बन्ध है। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चका है तथा मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई।

अभियोजन पक्ष की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी और तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के रिहा होने के पश्चात् पुनः अपराध करने की संभावना है।

मैने पत्रावली का परिशीलन किया। प्राथमिकी के अनुसार दिनांक 21.8.2020 को समय करीब 9.00 बजे दिन में आवेदकगण द्वारा दीवाल फॉदकर वादिनी के घर आने पेड़ काटने तथा मना करने पर वादिनी व उसकी मां को मारने पीटने जान से मारने तथा घर में घुसकर वादिनी का कपड़ा फाड़ने व उसके साथ अश्लील हरकत करना बताया गया है। इस मामले की घटना दिनांक 21.8.2020 की बतायी गयी है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र के आदेश पर पंजीकृत करायी गयी है।आवेदकगण के विरूद्ध अपराध मजि0 न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियोजन की तरफ से आवेदकगण का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है साक्ष्य नष्ट किए जाने की कोई संभावना नहीं है।

मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुण दोष पर कोई मत व्यक्ति किए बिना आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण राजेश एवं प्रवेश उर्फ रामप्रवेश का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। थाना प्रभारी रानीपुर को निर्देशित किया जाता है कि जैसे ही आवेदकगण को इस अपराध में गिरफ्तार किया जाए, आवेदक प्रत्येक द्वारा **50,000/–रूपये** की दो–दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन उन्हें छोड़ दिया जाए।

1. आवेदकगण किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछ–ताछ किये जाने हेतु स्वयं उपलब्ध होगे।

2. आवेदकगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या बचन नहीं देगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

3. आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगें।

4. आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय में नियत तिथि पर उपस्थित होगें।

दिनांकः 19.10.2022

(रामेश्वर)
सत्र न्यायाधीश,
मऊ।